संख्या: डब्ल्यू-11044/28/2014/एनआरडीडब्ल्यूपी/जल

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

8वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड़,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 7-08-2014

सेवा में,

सभी राज्य सचिव/प्रधान सचिव
राज्यों के प्रभारी आरडब्ल्यूएस

विषय: आईएपी जिलों में सौर ऊर्जा पर आधारित दोहरे पंप लगाना- निधियाँ जारी करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया इस मंत्रालय के दिनांक 28-03-2013 के स्वीकृति आदेश द्वारा राष्ट्रीय साफ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) के अंतर्गत निधियों की पहली किस्त जारी करने का संदर्भ लें।

2. आगे, यह सूचित किया जाता है कि इस मंत्रालय को वर्ष 2014-15 के दौरान एनसीईएफ के अंतर्गत बजट आबंटन प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, यह मंत्रालय वित्त मंत्रालय से उन्हें अनुपूरक बजट में अर्थात अक्टूबर, 2014 के बाद उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगा।

3. इसी बीच, योजनाओं पर राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) का निम्नानुसार अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राज्य योजनाएँ शुरू करें:

i. सौर आधारित पम्पिंग प्रणाली की लागत (योजना लागत का लगभग 40 प्रतिशत)- को एनआरडीडब्ल्यूपी से वहन किया जाए- केंद्र और राज्य के बीच 100:0 निधियन पैटर्न पर निरंतरता घटक, यदि एनसीईएफ से निधियाँ उपलब्ध नहीं हों।

ii. योजना अवसंरचना की लागत (परियोजना लागत का लगभग 60 प्रतिशत)- को एनआरडीडब्लयूपी से वहन किया जाए- केंद्र और राज्य के बीच 50:50 शेयरिंग आधार पर कवरेज निधि।

iii. एसएलएसएससी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राज्य यथासंभव संख्या में योजनाएँ शुरू करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार)
निदेशक (जल)

प्रतिलिपि: तकनीकी निदेशक (एनआईसी)- अनुरोध है कि इस पत्र को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दें।